

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक / /2020

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, पंचम विधानसभा के शीतकालीन सत्र दिनांक 21.12.2020 से 30.12.2020 के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

दिनांक 18, 20 एवं 27 दिसम्बर, 2020 को कार्यालय का समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक तथा 21.12.2020 को कार्यालय का समय प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा ।


समस्त अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् प्रमुख सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे ।

अधिकारी/कर्मचारी उन्हें प्रदायित ब्लेजर/रेमण्ड सफारी में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आर्येंगे । समस्त वाहन चालक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहनकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है ।

अतः संक्रमण से बचाव की दृष्टि से कार्यालय आने-जाने हेतु यथा संभव स्वयं के वाहन के उपयोग की सलाह दी जाती है । वैकल्पिक रूप से सत्र के दौरान घड़ी चौक एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 30 मिनट पश्चात् तथा विजेता काम्पलेक्स जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात् रहेगा ।

आदेश से,



अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा